



राजस्थान सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओटीएस चौराहा, जेएलएन मार्ग, जयपुर

(दूरभाष:- 0141-2719136)



ORDER

1. Hence forth the files for registration may be put up to Information Commissioner for approval.
2. Information Commissioner will be holding his hearing exclusively of complaints from 17-11-2014 to 31-12-2014, 20 complaints per day will have to be listed in his court.
3. From 01-01-2015 onwards he will be hearing both complaints and appeals of this jurisdiction indicated below consisting of 10 complaints plus 25 appeals per day from 11:00 AM.
4. The jurisdiction for hearing from 1-1-2015 by Information Commissioner would be as follows:
 1. Complaints and appeals of the following divisions namely
 - a) Jodhpur (except High Court)
 - b) Bikaner
 - c) Udaipur
5. Cases would be heard in Court No. 2 by the IC.
6. The cases of the remaining divisions and the High Court would be listed in CIC's court No. 1

(T. Srinivasan)

Chief Information Commissioner

—: सूचना :-

माननीय सूचना आयुक्त डॉ. पी.एल अग्रवाल महोदय ने दिनांक 10.10.2014 को सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है।

उप-सचिव

क्रमांक- प.ड()/रा.सु.आ./ 2014/46786-95 दिनांक 27.09.2014

कार्यालय आदेश

1. सर्वसाधारण जन के लिये राजस्थान सूचना आयोग ने निर्णय लिया है कि निम्नलिखित वर्ग के नागरिकों द्वारा आवेदन से राज्य प्रशासकीय व पत्रिकाओं की सुगमता प्राथमिकता पर की जायेगी :-
 - (1) वरिष्ठ नागरिक
 - (2) निराश्रयजन
2. उक्त श्रेणी के नागरिकों को आवेदन में प्रस्तुत की जाने वाली अपील व पत्रिकाओं के आवेदन के उपर उनकी श्रेणी तथा "वरिष्ठ नागरिक" अथवा "निराश्रयजन" स्पष्ट उल्लेख करनी होगी।
3. उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ वरिष्ठ नागरिक/नि:श्रयजन से सम्बन्धित अधिकतम साक्ष्य संलग्न किये जाना अनिवार्य होगा।
4. "वरिष्ठ नागरिकों" का अर्थ प्रायः उन नागरिकों से होगा जिनको आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो व "निराश्रयजन" का अर्थ प्रायः उन नागरिकों से होगा जिनकी निकटतम जिल्ला अदालत अथवा उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के अर्थात् अधिकृत अधिकारी द्वारा दिने गये प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।

(सचिव)

क्रमांक प.ड()/रा.सु.आ./ 2014/46786-95

दिनांक 2.09.2014

कार्यालय आदेश

राजस्थान सूचना आयोग कार्यालय में जारी किये गये कार्यालय आदेश क्रमांक 46786-95 दिनांक 25.8.2014 की निम्नलिखित में स्पष्ट किया जाता है कि "वरिष्ठ नागरिक" व "निराश्रयजन" द्वारा प्रस्तुत अधिकतम साक्ष्य से स्पष्ट के फोटोयुक्त परिचय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(सचिव)